UPKU010040082026

**<u>न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।</u>**

उपस्थित–**संजीव कुमार त्यागी, एच०जे०एस०–Id. No. UP2018**

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **– 1138/2026**

अंशु यादव उर्फ हिमांशु कुमार यादव बउम्र 32 वर्ष पुत्र परमानन्द यादव, सा०–जरार, थाना– कोतवाली पडरौना, जिला– कुशीनगर।

––– अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार। –––विपक्षी

मु०अ०सं०– 37/2026
धारा–191(2), 191(3), 109, 121(1), 132, 351(3) बी०एन०एस० व 7 C.L.A. Act
थाना– जटहां बाजार,
जिला– कुशीनगर।

**<u>निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र</u>**

1–यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त अंशु यादव उर्फ हिमांशु कुमार यादव की ओर से उपरोक्त मामले में अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2–संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उप निरीक्षक देवब्रत यादव द्वारा दिनांक 08–05–2026 को थाना जटहां बाजार में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 08–05–2026 को थाना कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पुर्नहा मिश्र गांव में तेंदुआ निकला हुआ है जिसकी सूचना पर वह घटनास्थल पर पहुँचा जहां पर तेंदुआ को पकड़ने के लिए थाने की फोर्स व वन विभाग की टीम व ग्रामीण काफी संख्या में मौजूद थे जिनके द्वारा तेंदुआ पकड़ने के लिए शोर शराबा किया जा रहा था। उन्हे पुलिस द्वारा समझाया जा रहा था कि वे शान्त रहें ताकि तेंदुआ को रेस्क्यू किया जा सके। जब गोरखपुर से बेहोशी का इन्जेक्शन देने हेतु डाक्टरों की टीम पहुंची तो समय करीब 12.10 बजे 100–200 नाम पता अज्ञात ग्रामीण उक्त तेंदुए को पीटकर मार देने हेतु उग्र हो गए तथा तेंदुए को बेहोशी का इन्जेक्शन देने व पुलिस के सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया जाने लगा जिसकी वीडियोग्राफी पुलिस द्वारा की जाने लगी तो ग्रामीणों द्वारा उग्र होकर गाली गुप्ता देते हुए यह कहते हुए कि पुलिस वाले तेंदुए को बचाने में लगे हुए हैं इन्ही लोगों को

मारो। इतना सुनते ही सभी लोग पुलिस वालों व वन विभाग की टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से हाथ में लिए हुए लाठी डण्डा, लोहे के राड व धारदार हथियार से हमला कर दिए जिसमें पुलिस वालों में से प्रशिक्षु आरक्षी सुशील कुमार सिंह के सिर पर प्राणघातक चोटें आई जिससे वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर गया। इसी बीच बचाव में थानाध्यक्ष अभिनव मिश्र, आरक्षी संतोष कुमार सिंह, आरक्षी अनुराग यादव व प्रशिक्षु आरक्षी विश्वजीत पाठक को गंभीर चोटें आई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया तथा लोग इधर उधर भागने लगे तथा गांव के लोग अपने अपने घरों का दरवाजा बन्द करने लगे तथा ग्रामीण पुलिस वालों को जान से मारने की धमकी देते हुए तितर बितर हो गए। उसके बाद वीडियोग्राफी को देखने से उक्त ग्राम के ग्राम प्रहरी द्वारा उसमें से चिन्हित व्यक्ति क्रमशः अंशु यादव, गिरिजेश कुशवाहा, गोविन्द कुशवाहा, सोनू कुशवाहा, वर्मा कुशवाहा, राजन कुशवाहा, सहादत, अजय यादव, संतोष साहनी, राजेश चौबे व 100–200 अज्ञात लोग थे। तदनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई।

3–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अभियुक्त निर्दोष हैं। उन्होने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त को फर्जी व मनगढ़न्त कहानी बनाकर फंसाया गया है। तेंदुआ के रेस्क्यू के लिसे वन विभाग व पुलिस टीम ग्राम पुर्नहा मिश्र आई थी। तेंदुआ गांव के कई लोगों पर हमला किया था जिसमें कई लोग जख्मी हुए थे। जिस समय वन विभाग की टीम गांव में पहुँची थी तो तेंदुआ के पकड़े जाने पर गांव के लोग तेंदुआ के हमले से आक्रोशित थे जिसके कारण तेंदुआ को गांव के लोग लाठी डण्डा से मारने के लिए दौड़े तो पुलिस व वन विभाग के लोग उन्हे समझाने लगे जिससे भीड़ उग्र होकर हमलावर हो गई तथा पुलिस व ग्रामीणों में झड़प हो गई। सूचना पाकर वह भी मौके पर गया था तथा मामले में बीच बचाव करने लगा तथा पुलिस द्वारा की जा रही वीडियोग्राफी में आ गया जिसके कारण उसे अभियुक्त बना दिया गया। पुलिस की वीडियोग्राफी में अभियुक्त केवल गांव के लोगों के शान्त रहने व घर वापस जाने की अपील करते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में अभियुक्त के हाथ में कोई लाठी डण्डा दर्शित नहीं हो रहा है। पुलिस के हमले के समय अभियुक्त घटनास्थल से दूर जाकर तमाशबीन के रूप में खड़ा था। अभियुक्त को केवल शक के आधार पर फंसाया गया है। अभियुक्त ने धारा 109 बी.एन.एस. का कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त जमानत मुचलका दाखिल करने को तैयार है। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गई।

4–विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा बहस में कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर नाजायज गिरोह बनाकर हत्या करने की नीयत से पुलिस पार्टी पर हमला किया गया जिसमें पुलिस पार्टी के कुल पांच सदस्यों को चोटें आई हैं। तदनुसार जमानत प्रार्थना खारिज करने की याचना की गई।

5–मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

6–प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तों के कालम में एक नंबर पर नामजद है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि उसके द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर नाजायज गिरोह बनाकर हत्या करने की नीयत से पुलिस

पार्टी पर हमला किया गया जिसमें पुलिस पार्टी के कुल पांच सदस्यों को चोटें आई हैं।

घायल कां० सुशील कुमार सिंह की आघात आख्या में उसे निम्न चोटें आना अंकित हैः–

1– Lacerated wound of size 2.5 cm x 0.3 cm present over head on left parietal region, 8.5 cm superior to left ear pinna, Adv. NCCT head,

2– COP left arm,

3– COP right calf region,

4– COP whole body,

5– Abrasion of size 14 cm x 3.5 cm present over back left posterior region, 17 cm intro lateral to C–7 vertebra.

घायल कां० अनुराग यादव की आघात आख्या में उसे निम्न चोटें आना अंकित है।

1– Abrasion of size 0.5 cm x 0.4 cm over right middle finger at PIP joint,

2– Abrasion of size 3.5 cm x 1.5 cm over right FA,

3– Multiple abrasion of size 3 cm x 1.8 cm over right FA, 4 cm above to elbow joint,

4– Swelling of size 10 cm x 9 cm over right FA just above to elbow joint, Advice X–ray,

आघात आख्या में घायल कां० संतोष कुमार सिंह के शरीर पर निम्न चोटें आना अंकित हैं:–

1– Abrasion of size 3 cm x 1.3 cm present over left arm. 5.5 cm above to coracoid process.

2– Abrasion of size 4 cm x 1 cm present over left upper back, 3 cm supero lateral to inferior angle of left scapula,

3–COP neck,

4– COP whole back.

घायल कां० विश्वजीत पाठक की आघात आख्या में निम्न चोटें आना अंकित हैः–

1– Abrasion of size 1.4 cm x 0.6 cm present over right elbow, 0.5 cm close to medial epicotyl,

2– Abrasion of size 5 cm x 1 cm present over left FA, 2 cm close to left coracoid process,

3– Abrasion of size 5 cm x 2.5 cm over right proximal FA. 7 cm dorsal to coracoid process,

4– COP Neck,

5– COP right thigh.

घायल उप निरीक्षक अभिनव मिश्रा के आघात आख्या में उसे निम्न चोटें आना अंकित हैः–

1– Contused swelling of size 6 cm x 4 cm over right FA, posterio lateral aspect, 11.5 cm dorsal,

2– Multiple abrasion of size 8.5 cm x 2 cm over right FA, posterio medial aspect, 3.5 cm proximal,

3– abrasion of size 2.5 cm x 2.8 cm present over right proximal FA. Just dorsal to elbow joint,

4– Abrasion of size 7.5 cm x 0.4 cm present over left FA radial aspect 9 cm proximal to wrist joint,

5– Multiple abrasion of size 2.5 cm x 2.6 cm present over left FA, anterior aspect, 6.5 cm proximal to left wrist joint,

6– Multiple abrasion of size 2 cm x 2 cm present over left hand, dorsal aspect 4 cm dorsal to left wrist joint,

7– Multiple abrasion of size 2.5 cm x 0.3 cm over left wrist joint.

पुलिस पार्टी के कुल पांच सदस्यों को मारकर घायल किया गया है। घायल कां० सुशील कुमार सिंह की चोट नंबर 1 सिर पर चोट पहुॅचाई गई है जो शरीर का मर्मस्थल है। इससे उसकी जान भी जा सकती थी। अभियुक्त द्वारा दुस्साहसिक तरीके से पुलिस पार्टी पर नाजायज गोल बनाकर हमला किया गया। प्रश्नगत अभियुक्त मामले का मुख्य अभियुक्त है। उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के कालम में एक नंबर पर है। अभियुक्त को ग्राम प्रधान का प्रत्याशी बताया गया है। प्रश्नगत अभियुक्त द्वारा ही भीड़ को उकसाया जाना प्रतीत होता है। अपराध की प्रकृति काफी गंभीर है। मामले में अभी विवेचना प्रचलित है। मामले से संबंधित सह अभियुक्तगण राजेश चौबे, गोविन्द कुशवाहा व सोनू कुशवाहा की जमानत इस न्यायालय से दिनांक 29–05–2026 को निरस्त की जा चुकी है। उक्त समस्त कारणों के मद्देनजर अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

अभियुक्त अंशु यादव उर्फ हिमांशु कुमार यादव की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः **02.07.2026** **(संजीव कुमार त्यागी)**
R.P. Shukla सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।



Digitally signed by SANJEEV KUMAR TYAGI
Date: 2026.07.02 15:58:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court